राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 76 / SEIAA/2022
Date: 9/4/22

प्रति,

कुमारी ममता
पुत्री श्री बाबूलाल,
निवासी – ग्राम असरावद बुजुर्ग,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषयः– प्रकरण कमांक 9062/2022 – परियोजना प्रस्तावक कुमारी ममता पुत्री श्री बाबूलाल, निवासी – ग्राम असरावद बुजुर्ग, तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 199/1/2, रकबा 1.80 हेक्टेयर, ग्राम मालीखेड़ी, तहसील बिचौली हप्सी, जिला इन्दौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 714 वी बैठक दिनांक 24.03.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 560वी बैठक दिनांक 12.03.2022 अनुसार ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 165 मीटर पर, पश्चिम दिशा में 215 मीटर पर शेड है, पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर कच्चा रोड़ है तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 250 मीटर पर रेणुका माता का मंदिर भी स्थित हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्ष 2014 तक खनन् कार्य किया गया है एवं उसके उपरांत खदान बंद है । समिति ने पाया कि परियोजना के प्रस्तावित स्थल का गूगल इमेज (11/2017 तथा 04/2021) के अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन् कार्य किया जा रहा है तथा लीज में एक पेड 10/2020 की गूगल इमेज में दिख रहा है जो वर्तमान में काटा जा चुका है, इस प्रकार यह प्रकरण ई.आई.आई नोटिफिकेशन, 2006 के अनुसार वॉयलेशन (Violation) का प्रकरण है । अतः इस स्थिति में इस प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता तथा एकल प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रस्तावित खदान से रालामण्डल अभ्यारण्य 4.96 किलोमीटर दूर होने के कारण (05 किलोमीटर से कम) प्रकरण श्रेणी–ए का है। अतः इस स्थिति में इस प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 560वी बैठक दिनांक 12.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जायें।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण निरस्त किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 77 /SEIAA/2022 दिनांक – 9/4/22

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला – इंदौर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला – इंदौर (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला – इंदौर म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी